238

197

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB SEC. (i)

Appearing on page No. 261—264

Dated 4-2-1995

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 63.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पढ़ी जाने वाली उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों का गठन और इनके कार्य) के विनियम, 1995 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52);

(ख) "परिषद्" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ग) "क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति;

(घ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा।

3. क्षेत्रीय समिति का गठन—(1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में स्थापित क्षेत्रीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे;

(क) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित अध्यक्ष;

(ख) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थानों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, इंजीनियरी कालेजों, पाली-टैक्निकों के निदेशकों/प्रिंसिपलों में से चार सदस्य नामित करना;

(ग) उद्योग, श्रम, वाणिज्य और भारतीय भेषजी परिषद्, वास्तुकला परिषद्, भारतीय उद्योगों और व्यावसायिक सोसाइटियों के महासंघ के व्यावसायिक प्रतिनिधियों में से चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें अध्यक्ष, अ.भा.त.शि.प., नामित करे;

(घ) शिक्षुता प्रशिक्षण मंडल के एक प्रतिनिधि जिन्हें मंडल नामित करे;

(ङ) तीन सदस्य अध्यक्ष, राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल, अध्यक्ष, औद्योगिक संपर्क मंडल, क्षेत्र में स्थित हर राज्य/संघ शासित क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव या निदेशक, राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल (पदेन) से वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से;

(च) तकनीकी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय/समन-विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके नामित व्यक्ति (डीन/प्रिंसिपल पद से कम नहीं होना चाहिए) क्षेत्र के राज्यों को वर्णक्रमानुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा)।

(छ) तकनीकी शिक्षा ब्यूरो, शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधिकारी (पदेन) (इनका दर्जा उप-सचिव से कम नहीं होना चाहिए)।

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय समितियों से संबंधित ब्यूरो के सलाहकार (पदेन)।

(झ) क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी।

(2) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी उस क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

4. कार्यकाल—

(1) जब तक कि विनियमों में अन्यथा उल्लिखित न हो, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(2) अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नामांकन के पात्र होंगे।

(3) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु, पदत्याग की स्थिति में आकस्मिक रिक्ति, यदि सदस्य किसी विशेष अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे अंग-विशेष के प्रतिनिधित्व के समाप्त हो जाने पर, परिषद् द्वारा रिक्ति भरी जाएगी।

(4) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य उप-विनियम (3) के तहत नियुक्त किए जाने की स्थिति में उतने समय तक कार्य करेगा जितनी अवधि उस सदस्य की शेष रहती है।

5. समिति को व्यक्तियों को संबद्ध करने का अधिकार

(1) क्षेत्रीय समिति अपने कार्य में किसी भी व्यक्ति को संबद्ध कर सकती है जिसकी सहायता या विशेषज्ञता वह अपने कार्यों के निष्पादन में उचित समझे।

(2) किसी प्रयोजन के लिए इस विनियमन के अधीन क्षेत्रीय समिति से संबद्ध सदस्यों में उस प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकारों के नामित किए गए प्रतिनिधियों को छोड़कर मुख्य समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा और इस प्रयोजन के लिए वह समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष उपविनियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को संबद्ध करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष से परामर्श करेंगे।

6. क्षेत्रीय समिति के कार्य :

क्षेत्रीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :

(1) क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के सभी पक्षों पर योजना बनाने, बढ़ावा देने और विनियमन हेतु परामर्श और सहायता देना;

(2) विभिन्न राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/अन्य संस्थानों आदि से प्राप्त प्रस्तावों—

(क) नए संस्थानों की स्थापना;

(ख) नए कार्यक्रमों को शुरू करना;

(ग) प्रवेशार्थियों की संख्या में वृद्धि/कमी करना;

(घ) संस्थाओं को बंद करना या किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जारी न रखना;

पर परिषद् में क्षेत्रीय समिति ब्यूरो के जरिए से नियुक्त कार्यबल द्वारा की गई और फिर क्षेत्रीय समिति को भेजी गई सिफारिश के बारे में सहायता देना तथा विचार करना;

(3) परिषद् के तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों तथा परिषद् की अन्य सिफारिशों/निर्णयों के अनुवीक्षण और कार्यान्वयन में सहायता करना;

(4) तकनीकी संस्थानों के सर्वेक्षण, तकनीकी मानवशक्ति मूल्यांकन तथा डाटाबेस के विकास और संकलन में मानवशक्ति और जीवन विकास ब्यूरो की सहायता करना;

(5) परिषद् द्वारा समय-समय पर डिजाइन किए गए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में परिषद् की सहायता करना;

(6) आवश्यकतानुसार परिषद् के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल की सहायता करना;

(7) परिषद् द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य निष्पादित करना।

[सं. एफ/4-5/त.के.नु./वि.नि./क्षे.स./94]

जे. पी. गुप्ता, सदस्य-सचिव

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (4) of section 14 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Constitution and Functions of Regional Committees) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3;

(c) "Regional Committee" means a Regional Committee established under sub-section (1) or sub-section (2) of section 14;

(d) "section" means a section of the Act.

3. Constitution of Regional Committee.—(1) A Regional Committee established in pursuance of sub-section (1), or under sub-section (2) of section 14 of the Act shall consist of the following members, namely:—

(a) Chairman to be nominated by the Chairman of the All India Council for Technical Education;

(b) four members to be nominated by the Chairman of the All India Council for Technical Education from amongst the Directors/Principals of recognised Institutions of Technical Education i.e. Indian Institute of Technology, Regional Engineering Colleges, Technical Teachers Training Institutes, Engineering Colleges, Polytechnics, in the region;

(c) four eminent persons in the field of industry, labour, commerce and Professional representatives from Pharmacy Council of India, Council of Architecture, Confederation of Indian Industries and Professional Societies to be nominated by Chairman, All India Council for Technical Education;

(d) one member representing the Board of Apprenticeship Training, to be nominated by that Board;

IndiaCode

(e) three members from amongst Chairman, State Board of Technical Education, Chairman, Industrial Liaison Board, Secretary in charge of the Department of Technical Education of each State and Union Territory comprised in the region, or Director, State Directorate of Technical Education (ex-officio) by rotation in alphabetical order of the States Union Territories in the region;

(f) one Vice-Chancellor or his nominee (not below the level of Dean/Principal) of the University/Deemed University dealing with Technical Education (by rotation in alphabetical order) of the States in the region :

(g) one officer of Bureau of Technical Education, not below the rank of a Deputy Secretary Departmetnt of Education, Government of India—Member ex-officio;

(h) one Adviser of the Bureau, Regional Committees, All India Council for Technical Education (ex-officio); and

(i) Regional Officer of the Regional office, ex-officio.

(2) The Regional Officer of the Regional Office concerned shall be the Member-Secretary of the Regional Committee of that region.

4. Term of office.—(1) The term of office of the Chairman and other members, except the ex-officio members shall be three years from the date of constitution of the Committee.

(2) The Chairman and members shall be eligible for renomination.

(3) Any casual vacancy in the office of the Chairman or any other member arising by reasons of his death, resignation or, if the member represents an interest, on ceasing to represent such interest, shall be filled by the Council.

(4) The Chairman or any other member appointed under sub-regulation (3) shall hold office for the remainder of the term of office of the person in whose place he is so appointed.

5. Power of the Committee to associate persons:—(1) The Regional Committee may associate with itself any person whose assistance or expert advice it may desire to obtain in performing any of its functions.

(2) A person associated with a Regional Committee under sub-regulation (1) for any purpose shall have a right to take part in the discussions of the Committee relevant to that purpose but shall have no right to vote at a meeting of the committee and shall not be a member of the Committee for any other purpose.

(3) The Chairman of the Regional Committee shall consult the Chairman of the All India Council for Technical Education the association of any person under sub-regulation (1).

6. Functions of Regional Committees.—The functions of the Regional Committees shall be—

(i) to advise and assist the Council in all aspects of planning, promoting and regulating Technical Education within the region;

(ii) to assist and consider the recommendation made by the Task Force appointed by the Bureau Regional Committee of the council and make its recommendation to Bureau Regional Committee thereon on the proposals received from various State Governments, Universities and other agencies for—

(a) establishment of new Institutions;

(b) introduction of new programmes;

(c) increase/decrease in the intake capacity;

(d) closing of Institutions or discontinuing any programme or course;

(iii) to assist in monitoring and implementation of the norms and standards in Technical Education Programmes of the Council and other recommendations or decisions of the Council;

(iv) to assist the Bureau of Man-Power and Carcer Development of the Council in the survey of technical institutions—technical man-power assessment and in developing and collection of data base;

(v) to assist the Council in Quality Improvement Programmes designed by the Council from time to time;

(vi) to assist the National Board of Accreditation of the Council whenever required;

(vii) to carry out any other work assigned by the Council.

[No. F. 4-5/CCF/REGL/RCs/94]

J. P. GUPTA, Member-Secy.

MGIPRRND—196 ICTE/95—Sec.—VIII—(D)—dt.15-2-95—200 Copies.